Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

मनीराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ़

बनाम

मनफूल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चक 501 एलएनपी हाल चक 4 केएसएम तहसील अनूपगढ़ आदि

किस्म मुकदमाः–शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–राजस्व अधिनियम 1970 प्रकरण सं.–550/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27.03.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजवीर भादू हाजिर। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार छावड़ा एवं अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। संक्षेप में पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मनीराम ने अप्रार्थी मनफूल के विरूद्व हस्तगत शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी मनफूल ने चक 4 केएसएम (बान्ड़ा) तहसील अनूपगढ़ के खाता संख्या 39/37 के पत्थर न. 290/392 (29) के किला न. 1 ता 25 में कुल 6.325 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि धारण में होते हुए राजकीय सेवा में रहते हुए रोही ढाढियावाली तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 58 में 6.325 है0 बारानी भूमि आवंटन करवा ली अतः शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी का आवंटन खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी से जवाब प्राप्त किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित चक 4 केएसएम (बान्ड़ा) तहसील अनूपगढ़ से संबंधित भूमि का अभिलेख मंगवाया गया, जो कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी उप–अभिलेखागार अनूपगढ़ के पत्रांक रिकार्ड/2023/234 दिनांक 16.01.2023 द्वारा प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी को ढाढियावाली में आवंटित भूमि का अभिलेख तहसीलदार सूरतगढ़ से चाहा गया था। जिस पर एलआरटीसी प्रभारी की रिपोर्ट पर ही तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने हस्ताक्षर करते हुए पत्रावली नहीं मिलने बाबत अवगत करावाया। उभय पक्ष की सहमति से प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम चक 4 केएसएम (बान्ड़ा) तहसील अनूपगढ़ के खाता संख्या 39/37 के पत्थर न. 290/392 (29) के किला न. 1 ता 25 में कुल 6.325 है0 कमाण्ड़/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि होते हुए भी उक्त भूमि को छुपाते हुए सरकारी सेवा में रहते हुए रोही ढाढियावाली के खसरा न. 58 में 6.325 है0 बारानी भूमि आवंटन करवा ली। उक्त भूमि पर आवंटन की दिनांक से लेकर आज तक मनफूल का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त आवंटन महज पेपर आवंटन है। प्रार्थी का शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) अतः अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि मुझ अप्रार्थी संख्या 01 को चक 4 केएसएम (बान्ड़ा) तहसील अनूपगढ़ के खाता संख्या 39/37 के पत्थर न. 290/392 (29) के किला न. 1 ता 25 में कुल 6.325 है0 कमाण्ड़/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि विशेष आवंटन के तहत दिनांक 03.12.1982 को आवंटित हुई था। विशेष आवंटन के नियमों के तहत सीलिंग सीमा तक आवंटन किया जा सकता है। उक्त भूमि मुझ अप्रार्थी संख्या 01 की अवाप्त भूमि के बदले में आवंटित की गई थी। रोही ढाढियावाली का आवंटन वर्ष 1980 से पूर्व का है जो लगभग 50 वर्ष पूर्व का है यदि अब उक्त आवंटन निरस्त किया जाता है तो यह कानून का दुरूपयोग होगा। जैर प्रार्थना पत्र रकबा आवंटन करवाते समय अप्रार्थी ने अपने नाम की खातेदारी भूमि के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं छुपाये है। प्रार्थी द्वारा मनगढत तथ्यो पर शिकायत पेश की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1999 पेज 456, आरआरडी 1999 पेज 597–598 की ओर ध्यान दिलाया। पैरोकार राज ने दौराने बहस रिपोर्ट दिनांक 02.07.2018 में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने की प्रार्थना की। हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्जावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम चक 4 केएसएम (बान्ड़ा) तहसील अनूपगढ़ के खाता संख्या 39/37 के पत्थर न. 290/392 (29) के किला न. 1 ता 25 में कुल 6.325 है0 कमाण्ड़/अनकमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है इसके बाबजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जानबूझ कर उक्त खातेदारी भूमि को छिपाकर रोही ढाढियावाली तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 58 में 6.325 है0 बारानी भूमि आवंटन करवा ली। अतः अप्रार्थी संख्या 01 का रोही ढाढियावाली का आवंटन खारिज किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को रोही ढाढियावाली तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 58 में 6.325 है0 बारानी भूमि वर्ष 1980 से पूर्व आरजी काश्त आवंटन की गई थी। जिसका नवीनीकरण भी सन् 1981–82 में आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आदेशों से हुआ है। तत्पश्चात दिनांक 03.12.1982 को अप्रार्थी संख्या 02 को चक 4 केएसएम (बान्ड़ा) तहसील अनूपगढ़ के खाता संख्या 39/37 के पत्थर न. 290/392 (29) के किला न. 1 ता 25 में कुल 6.325 है0 कमाण्ड़/अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन के तहत आवंटित की गई। जिससे	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

साबित है कि अप्रार्थी संख्या 01 को पहले रोही ढाढियावाली की भूमि तथा बाद में चक 4 केएसएम (बान्डा) की भूमि आवंटन हुई थी। पत्रावली में उपलब्ध कार्यालय आगार प्रबंधक रा0रा0प0प0निगम श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश कमांक संस्था/वितीय/71/1327 दिनांक 13.01.1971 का अवलोकन करने पाया कि उक्त आदेश द्वारा अप्रार्थी संख्या मनफूल सिंह पुत्र सुरजाराम को निलंबित कर्मचारियों के स्थान पर एक माह पर अथवा निलंबित कर्मचारी के बहाल होने तक, जो भी पहले हो, तक परिचालक के पद पर नियुक्ति किया गया था। इससे जाहिर होता है कि रोही ढाढियावाली के आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 01 अस्थाई तौर पर राजकीय सेवा में कार्यरत था। जहां तक चक चक 4 केएसएम (बान्ड़ा) तहसील अनूपगढ़ के खाता संख्या 39/37 के पत्थर न. 290/392 (29) के किला न. 1 ता 25 में कुल 6.325 है0 कमाण्ड़/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि का है, उक्त विशेष आवंटन के तहत किया गया है। विशेष आवंटन सीलिंग सीमा तक किया जा सकता है। प्रकरण में अप्रार्थी को आवंटित भूमि सीलिंग सीमा से ज्यादा नहीं है। आवंटन पश्चात 50 वर्षो तक भूमि काबिल काश्त बनाई है। पत्रावली में उपलब्ध रोही ढाढियावाली तहसील सूरतगढ़ की गिरदावरी सवंत 2042–45, 2043–46, 2047–50, 2052–55, 2056–59, 2060–63, 2064–67, 2068–71 में भी अप्रार्थी संख्या 01 का नाम दर्ज है जिससे यह साबित है कि जैर प्रार्थना पत्र रकबा पर अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। महज एक शिकायत प्रार्थनापत्र के आधार पर इस स्तर पर उक्त आवंटन खारिज करना न्याय सम्मत नहीं है।प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य निराधार है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। प्रभारी अधिकारी उप–अभिलेखागार से प्राप्त अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner